

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर 302017

क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-1 16539


दिनांक 10.1.2022

कार्यालय-आदेश

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट 'Omicron' से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को रोकथाम एवं बचाव हेतु गृह (ग्रुप-7) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 09.01.2022 के अनुपालना में राजस्थान राज्य सेवाओं के समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि:-

1. परिसर से बिना पाठ्यक्रम निदेशक की अनुमति के कोई बाहर नहीं जाएंगे। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् परिसर में लोटने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट (नेगेटिव) प्रस्तुत करेंगे।
2. सभी प्रशिक्षु अधिकारी डबल मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी प्रशिक्षु अधिकारी परस्पर 02 गज की दूरी रखते हुए कॉविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे।
4. संशोधित सेक्शन एवं काउंसलर लिस्ट **संलग्नक** के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारी, आवंटित प्रशिक्षण कक्ष (सेक्शन ए- कक्ष संख्या 27 पटेल भवन, सेक्शन बी- कॉन्फ्रेंस हॉल पटेल भवन, सेक्शन सी मेहता सभागार, नेहरू भवन) में एक सीट छोड़कर स्थान ग्रहण करेंगे।

यह आदेश दिनांक 11.01.2022 से प्रभावी होंगे।



(विष्णु कुमार गायल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
पाठ्यक्रम निदेशक

क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-1 16540-74
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 10.1.2022

1. निजी सहायक, महानिदेशक महोदय, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
4. समस्त संकाय सदस्य, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (परिसर/विश्रान्ति), ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
6. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
7. समस्त सह/सहायक पाठ्यक्रम निदेशक को भेजकर लेख है कि वे संबंधित सेक्शन के वाट्स-एप ग्रुप पर उक्त आदेश साझा करें एवं दिए गए निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।
8. ए.सी.पी. (कम्प्यूटर), ह.च.मा. रीपा को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन शाखा, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
10. एफ सी सेल ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड (विश्रान्ति/नेहरू भवन/पटेल भवन/केन्टीन)
12. रक्षित पत्रावली।


अति. प्रभारी अधिकारी (एफसी)